कार्यालय जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक 2079/री.ए.डी.एम./ 2017 — इन्दौर, दिनांक 24/08/2017

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

अति0 पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, जिला इन्दौर के पत्र क्र0 पुअ/जिविशा/इंदौर/ 2017(755) दिनांक 23/08/2017 व समाचार पत्रों आदि के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि इन्दौर शहर में नींद एवं ट्रंक्वेलाईजर श्रेणी की दवाईयों का उपयोग आपराधिक तत्वों द्वारा नशे के लिये किया जा रहा है । कई जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों में अपराधियों द्वारा इन दवाईयों का सेवन कर अपराध घटित करना पाया गया है । यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार की सभी दवाईयॉ नियमों के विपरीत बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के ही खुले आम दुकानों से विक्रय की जा रही है । इन दवाओं का उपयोग अवैध रूप से नशे में किया जाकर, जहां एक ओर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, वही दूसरी ओर इनसे स्वास्थ्यय पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है । इस प्रकार से नशे के दुष्प्रयोग से बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इनके कय–विक्रय को नियन्त्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

अतः इन्दौर जिले की सीमा में नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी की दवाईयों का उपयोग अवैध रूप से नशे के लिये कर, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान--माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है ।

अतः मैं **निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर** दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर जिले की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. "यह कि इन्दौर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में **1– समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स(समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स), 2–समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, 3– समस्त डायजेपाम टेबलेट्स** (वेलियम–10, कॉम्पोज टेबलेट्स आदि), **4–समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, 5–समस्त इटिजोलाम टेबलेटस 6–समस्त एल्प्राजोलम टेबलेटस (रिवोट्रिल आदि) 7–समस्त कोडीन फास्फेट सिरप/टेबलेटस(कोरेक्स सिरप/टेबलेटस आदि), 8–क्लोजापाम टेबलेटस(फ्रीजीयम टेबलेट आदि)** का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जावेंगा ।
2. **गर्भपात/गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486, Mifepristone** एवं **Misoprostal** व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं(गोली, इंजेक्शन, जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जावेंगा एवं लिखित प्रिस्क्रिप्शन की छाया प्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जावेंगी ।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर प्रश्नाधीन

District Magistrate,
District–Indore (M.P.)

आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित् करेंगे । अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् करेंगे ।

चूंकि यह आदेश जन साधारण की सूविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है । इतना समय उपलब्ध नहीं है, कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें । अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है । आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा । अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा ।

यह आदेश दिनांक 24/08/2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया । उक्त आदेश दिनांक 25/08/2017 से दिनांक 27/10/2017 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।

(निशांत वरवड़े)
कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

पृ0क्रमांक /2080/री.ए.डी.एम./2017 इन्दौर, दिनांक : 24/08/2017

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
2. पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर रेंज इन्दौर ।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, शहर इन्दौर ।
4. पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय)/पूर्व/पश्चिम, जिला इन्दौर ।
5. अति0पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय/पूर्व क्षेत्र / पश्चिम क्षेत्र / ग्रामीण क्षेत्र, इन्दौर ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. अपर संचालक, जन सम्पर्क, इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु अगेषित ।
8. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, खुड़ैल, कम्पेल, साँवेर, महू, देपालपुर, हातोद, सेन्ट्रल कोतवाली, विजय नगर, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, संयोगितागंज, इन्दौर ।
9. एस0डी0ओ0 पुलिस, इन्दौर, डॉ0अम्बेकर नगर(महू), सॉवेर, देपालपुर ।
10. नगर पुलिस अधीक्षक, विजयनगर, सराफा, मल्हारगंज, सेन्ट्रल कोतवाली, जूनी इन्दौर, अन्नपूर्णा, संयोगितागंज, आजाद नगर, गांधी नगर, इन्दौर ।
11. उप पुलिस अधीक्षक(मुख्यालय), जिला विशेष शाखा, इन्दौर ।
12. प्रभारी अधिकारी, एनआईसी, कलेक्टोरेट, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
13. थाना प्रभारी, थाना .... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ । उक्त आदेश का विस्तृत प्रचार–प्रसार लाउड स्पीकार से करवाने तथा प्रमुख स्थानों पर चस्पा हेतु अग्रेषित ।
14. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, इन्दौर ।

कलेक्टर एवं,
जिला दण्डाधिकारी,
जिला इन्दौर.

District Magistrate,
District-Indore (M.P.)